अग्निशमन विभाग
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
पालिका केन्द्र : नई दिल्ली

विषय : अग्नि सुरक्षा तथा आपदा प्रबन्ध्न हेतु सिटिजन चार्टर के लिए सामग्री का प्रस्तुतीकरण।

1. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा वर्ष 1987 में परिषद् की ऊँची इमारतों तथा परिषद् के स्वामित्व वाली अन्य इमारतों में संस्थापित **अग्निरोधी** उपकरणों के रखरखाव तथा परिचालन हेतु अग्निशमन विभाग का सृजन किया गया था ।

2. न.दि.न.पा.परिषद् के अग्निशमन विभाग द्वारा अपनी सभी इमारतों यथा गगनचुम्बी इमारतों, विद्यालय भवनों, चिकित्सालय, **औषधालयों** बारातघरों, विद्युत सब–स्टेशनों, पार्किंग स्थलों, न.दि.न.पा.परिषद् की मार्किटों में अग्निशमन हेतु मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में भारतीय मानक संस्थान वाले विभिन्न प्रकार के अग्निशामक ;अग्निशमन उपकरण **उपलब्ध** कराए गये हैं । अग्निशमन उपकरणों के अतिरिक्त भवनों में अद्यतन अग्निशमन तकनीक एवं **अग्निरोधी** उपकरणों का **प्रावधान** किया गया है ।

3. अग्निशमन विभाग ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के विभिन्न भवनों में उपयोगकर्त्ताओं की जान एवं माल की रक्षा के लिए प्रभावी अग्निशमन सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने विभागीय अग्निशमन नियंत्रण कक्ष स्थापित किये हैं । इन नियंत्रण कक्षों में चौबीसों घण्टे किसी भी अनचाही दुर्घटना से निपटने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारीगण **उपस्थित** रहते हैं । अग्निशमन नियंत्राण कक्षों की पालिका के निम्नलिखित भवनों में अग्निशमन नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये हैं:–

1. पालिका केन्द्र	11. अकबर भवन
2. पालिका बाजार	12. यशवंत प्लेस
3. पालिका भवन	13. चाणक्य भवन
4. तालकटोरा इण्डोर स्टेडियम	14. लोकनायक भवन
5. पालिका पार्किंग	15. पालिका प्लेस
6. प्रगति भवन	16. शहीद भगत सिंह प्लेस
7. चन्द्रलोक बिल्डिंग	17. चरक पालिका अस्पताल
8. मयूर भवन	18. शिवाजी स्टेडियम
9. मोहन सिंह प्लेस	19. स्वाति आराधना आकांक्षा कामकाजी महिला हॉस्टल
10.नई दिल्ली सिटी सैंटर फेज –दो	20. आपदा प्रबंधन केन्द्र हुमायूँ रोड

4. अग्निशमन विभाग में 259 प्रशिक्षित एवं योग्य कर्मचारीगण है, जो कि न.दि.न.पा. परिषद् के विभिन्न भवनों में अग्निरोधी उपकरणों के उपयुक्त रखरखाव हेतु **शिफ्ट** ड्यूटी में तैनात रहते हैं । कर्मचारियों को नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज, नागपुर तथा नेशनल फायर सर्विस, नागपुर आदि से विभिन्न बचाव क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है । अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को किसी भी प्राकृतिक आपदा/विनाश अथवा अग्नि आदि से उत्पन्न किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है । किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए खान मार्किट में अत्याधुनिक उपकरणों से लैस आपदा प्रबन्ध्न केन्द्र भी स्थापित किया गया है ।

सक्रिय अग्निशमन वाहन

1. जल वाहन
2. बचाव वाहन
3. जल बाउसर
4. बहुउद्देशीय वाहन
5. तुरन्त कार्यवाही वाहन

अग्निशमन सेवा सप्ताह

न.दि.न.पा.परिषद् के अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन एवं बचाव कार्यक्रम के दौरान कार्य निर्वहन करते समय अपना जीवन बलिदान करने वाले विभिन्न अग्निशमन सेवाओं **में** बहादुर और साहसी **अधिकारी** तथा कर्मचारियों के पुण्य स्मरण करने एवं (**श्रद्धांजलि** अर्पण हेतु पूरे राष्ट्र में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के मध्य अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है ।

प्रशिक्षण

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों द्वारा समय–समय पर विद्यालयों, कार्यालय परिसरों एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा हेतु व्यवहारिक कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा जनसाधरण, परिषद् कर्मचारियों एवं परिषद् विद्यालयों के छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है ।

जनसहयोग

आगजनी से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जनसहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सहयोग में कमी या अग्नि/आपात सन्देश के सम्प्रेषण में विलम्ब से अग्नि प्रकोप में **वृद्धि** के साथ–साथ जान–माल की **अधिक** हानि का होना है । अतः अग्नि की प्रत्येक छोटी या बड़ी घटना की सूचना अनिवार्य रूप से तत्काल दी जाए। आसपास रहने वाली जनता भी झुग्गी अथवा ग्रामीण क्षेत्रा की अग्नि में जलने वाली वस्तु पर पानी फैंकने, मिट्टी डालने की क्रिया द्वारा अथवा जलने वाले पदार्थों की निरन्तरता **अवरुद्ध** (करते हुए आरम्भिक कार्य भी कर सकती है। यह कार्यवाही अग्निशमन कर्मचारियों के आने तक अग्नि को नियंत्रित करने एवं **अधिक**तम अग्नि के शमन करने में सहायक होगी।

दमकल को जाने के लिए मार्ग दें

जनसाधारण को जब भी दमकल वाहन का सायरन भौंपू अथवा घंटी सुनाई दे तो उन्हें सड़क के बाई ओर आने का परामर्श दिया जाता है ।

अग्नि दुर्घटना से बचाव

जब भी एक उष्मा का स्रोत ज्वलनशील सामग्रियों के सम्पर्क में आता है तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इसलिए हमारे घरों, कारखानों, व्यवसायिक स्थलों तथा कार्यालय आदि का गृह प्रबन्धन का अनुक्षण किया जाना अनिवार्य होना चाहिए । जो वस्तुएं उष्मा उत्पन्न कर सकती हैं तो ज्वलनशील सामग्री को उनके सम्पर्क में आने की स्वीकृति न देकर अग्नि दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। यह स्थापित हो चुका है कि 60 प्रतिशत से **अधिक** अग्नि दुर्घटनाएं विद्युत के कारण होती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इस **संबंध** में

पर्याप्त सावधनियाँ अपनाई जानी चाहिए । लघु सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के प्रावधान एवं ढीले जोड़ व अस्थायी वायरिंग के परहेज द्वारा अग्नि उद्वेग की संभाव्यता को कम करना सहायक होगा।

ऊँची इमारतों में अग्निशमन के पूर्वोपाय

ऊँची इमारतों में अग्नि का डर हमेशा लगा रहता है तथा यदि पर्याप्त बचाव उपाय नहीं किए जाते हैं तो गम्भीर परिणाम हो सकते हैं । अतः दिल्ली अग्निशमन बचाव एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम 1987 के अनुसार निम्नलिखित आरम्भिक सावधनियों का अनुसरण करें, जिसके द्वारा निम्नलिखित 12 न्यूनतम सुरक्षा मानक अपेक्षित हैं :–

1. प्रवेश के **साधन**
2. भूमिगत्/शिरोपरि स्थिर जल टंकियाँ
3. स्वचालित छिड़काव प्रणाली
4. प्रथम उपचार के रूप में चर्खी से लिपटा जल पाईप
5. भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रमाणित अग्निशमक
6. प्रखण्डीकरण
7. स्वचालित अग्निखोजी तथा खतरे का संकेत ; अलार्म प्रणाली/एमओईएपफए
8. सार्वजनिक **संबोधन** व्यवस्था
9. जगमगाते निकास मार्ग चिन्हित् संकेतक
10. विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत
11. फायरमैन स्विच सहित निकास मार्ग ;अग्नि सोपानद्ध
12. वैट राइज़र डाउन कॉमर सिस्टम

क्या करें –

1. घर के अच्छे रख रखाव को सुनिश्चित करें ।
2. **धुम्रपान** करते समय सदैव एशट्रे का उपयोग करें तथा बुझाने के बाद बीड़ी सिगरेट के **बचे** टुकड़े उसमें डालें।
3. कूड़े के सभी पात्रों को नियमित अंतरालों पर रिक्त करते रहना चाहिए ।
4. विद्युत के खराब उपकरणों को तत्काल मरम्मत/बदला जाना चाहिए ।
5. स्विचों तथा **फ्यूज़** को सर्किट के सही क्रम **निर्धारण** के अनुरूप होना चाहिए ।
6. वैल्डिंग/कटिंग कार्यों को पूर्ण पर्यवेक्षण के अन्तर्गत किया जाना चाहिए ।
7. धुआँ/अग्नि रोकने के दरवाजों को बन्द रखें ।
8. निकास द्वार को रूकावटों ; अवरोध से मुक्त रखें ।
9. **अधिवासियों** को प्रारम्भिक **अग्निरोधी** प्रशिक्षण प्रदान करे

न करें–

1. जलती हुई सिगरेट को लापरवाही से न फैंके
2. अग्नि संसूचक/छिड़काव करने के उपकरणों के अग्रभाग पर रोगन न करें

आवासीय क्षेत्रों में अग्नि बचाव हेतु सावधनियां :.

अपने घर को अग्नि रहित रखने के लिए सुरक्षा की निम्न महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें।

करें :

1. घर को साफ और स्वच्छ रखें,
2. माचिस, लाइटर्स और पटाखों को बच्चों से दूर रखें, पटाखे सावधनी से पकड़े ।
3. **धूम्रपान** के समय माचिस, सिगरेट तथा **बीडीयों** को फैंकने के लिए **धातु** की राखदानी का प्रयोग करें ।
4. कागजों, कपड़ों और ज्वलनशील द्रव्यों को हीटरों/अंगीठियों, खुले हुए चूल्हों से दूर रखा जाना चाहिए ।
5. बचाव के रास्तों ओर सीढ़ियों को किसी भी तरह की रूकावट से मुक्त रखें
6. एक सॉकेट में केवल एक विद्युतीय उपकरण का प्रयोग करें
7. एल.पी.जी. स्टोवों को उठे हुए स्थानों पर रखें, भूतल पर कभी न रखें ।
8. खाना बनाने के बाद गैस स्टोव की बर्नर नॉब और सिलेंडर बॉल्व बंद करें,
9. आग का काम करते समय अपने पास पानी से भरी बाल्टी रखें, आग से जलने पर हुये घाव की स्थिति में जले हुए स्थान पर दर्द समाप्त होने तक पानी डालते रहें ।

न करें

1. प्लगों, वायर स्विचों तथा सॉकेटों जैसे विद्युतीय **उपकरणों** के साथ छेड़–छाड़ न करें ।
2. स्प्रे केन ;छिड़काव करने वाले टिन के डिब्बे को हीटर पर अथवा उसके निकट अथवा **सीधें** सूर्य के रोशनी के सामने न रखें इससे उनमें विस्फोट हो सकता है ।
3. माचिस, सिगरेट के टुकड़े अथवा राख को रद्दी की टोकरी में न डालें ।
4. बच्चों को रसोईघर में खेलने की अनुमति न दें, ।
5. तेल के लैंपो अगरबत्तियों और मोमबतियों को फर्श पर या ज्वलनशील पदार्थों के निकट **न** रखे।
6. खाना बनाते समय ढीले, लहराने वाले, विशेषतः रेशमी **परिधान** पहनने से बचें ।
7. पटाखों को जेब में न रखे या घर के अंदर आतिशबाज़ी न करें ।
8. **धातु** के बर्तन से ढकते हुये कभी आतिशबाजी न करें
9. अनार को कभी हाथ में लेकर न जलाये ।
10. किसी वस्तु तक पहुँचने के लिए आग में से न जायें, ।
11. जलते हुए स्टोव को पुनः न भरे, और आग की उपेक्षा न करे ।

विद्युत से अग्नि सुरक्षा सावधनियाँ

अग्नि के 60 प्रतिशत मामले विद्युत की शॉटसर्किट, ओवरहीटिंग, ओवरहोल्डिंग, गैर मानकीकृत उपकरणों का प्रयोग, विद्युतीय तारों की गैर–कानूनी टैपिग, लापरवाही एवं अज्ञानता आदि के कारण होते हैं । यदि उपयुक्त निर्देशों का पालन न किया जाए तो इससे भयंकर आग तथा घातक दुर्घटनाएं हो सकती है । यदि पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए तो ऐसी घटनाओं को अध्कितम सीमा तक कम किया जा सकता है । विद्युत के कारण लगी आग विशेषकर इमारतों में तेजी से फैलती है तथा जान एवं माल के नुकसान का कारण बनती है । इसलिए यह आवश्यक है कि तत्परता से कार्यवाही की जाए। सहायता के लिए पुकारे । उपकरणों को ऊर्जा रहित करने के लिए ऊर्जा आपूर्ति बंद कर दें । सूखी रेत, कार्बनडाईऑक्साइड, शुष्क पाउडर अथवा एबीसी प्रकार के अग्निशामकों का प्रयोग करे।

क्या करें

1. भारतीय मानक संस्थान प्रमाणीकरण उपकरणों का प्रयोग करें ।
2. सही क्रमनिर्धरण के अच्छी गुणवत्ता वाले फ्रयूज, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स तथा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स का उपयोग करें ।
3. एक उपकरण के लिए एक सॉकेट का उपयोग करें ।
4. अग्नि ग्रस्त क्षेत्राों में विद्युत आपूर्ति बंद कर दें ।
5. अग्नि के **तार** (बेहतर सुरक्षा हेतु **धातु** के घनाकार पर फ्रयूज और स्विच जुड़े होने चाहिए।
6. टूटे हुए प्लग तथा स्विचों को बदल दें ।
7. विद्युत की तारों को गरम तथा गीली सतह से दूर रखें।
8. उपकरण का प्रयोग करने के उपरांत स्विच बंद करें तथा सॉकेट से प्लग हटा दें।
9. घर से जाते समय मुख्य स्विच को बंद कर दें ।

क्या न करें

1. एक सॉकेट में **एक से ज़्यादा** विद्युतीय उपकरण न लगाएं ।
2. निम्न स्तर के **विद्युतीय** उपकरणों का प्रयोग न करें।
3. वायरिंग के अस्थाई या नगें जोड़ न रखें ।
4. तारों को गलीचों, चटाइयों अथवा दरवाजे के रास्ते पर न बिछाएं, वे टूट सकती हैं, फलस्वरूप शॉटसर्किट हो सकता है ।
5. उपकरणों की तारों को झुलता हुआ न छोड़े ।
6. सॉकेट में नंगी तारों को न डाले । अस्थाई ढाँचा/पंडालों के संबंध में अग्नि सुरक्षा हेतु निर्देश
7. पंडाल की छत की ऊँचाई 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिये ।
8. ऐसे ढाँचों में कोई सिंथेटिक सामग्री अथवा सिंथेटिक रस्सियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये ।
9. किसी इमारत अथवा पहले से मौजूद दीवारों से सभी तरफ कम से कम 3 मीटर का अन्तर रखा जाना चाहिए ।
10. करंट युक्त विद्युतीय लाइन के नीचे किसी ढाँचे का सृजन नही किया जाना चाहिए ।
11. ढाँचे का निर्माण रेलवे लाइन, विद्युत सब–स्टेशनों, भट्ठी अथवा अन्य जोखिम वाले स्थानों से उचित दूरी पर किया जाना चाहिये तथा न्यूनतम दूरी 15 मीटर की दूरी बनाई रखी जानी चाहिये ।
12. पंडाल के चारों ओर बाहर निकलने का मार्ग पर्याप्त रूप से चौड़ा रखा जाना चाहिये । न्यूनतम 1.5 मीटर
13. पण्डाल के अन्दर तथा बाहर महत्त्वपूर्ण स्थलों पर प्राथमिक उपचार के रुप में अग्नि शामकों अथवा पानी की बाल्टियों को अवश्य रखा जाना चाहिये ।
14. वहां आपातकालीन प्रकाश का वैकल्पिक **प्रावधान** होना चाहिए ।
15. ज्वलनशील सामग्रियों यथा– लकड़ी का बुरादा, घासफूस, ज्वलनशील तथा विस्फोटक रसायनों तथा समान प्रकृति की सामग्रियों को पण्डाल के अन्दर अथवा निकट रूप में एकत्रित किए जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिये ।
16. अस्थाई ढांचे/ पण्डाल के समीप किसी भी प्रकार की खुली लपटों वाली आतिशबाजी को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए ।
17. अस्थाई संरचना के शेष क्षेत्र से गैर ज्वलनशील सामग्रियों ;जी आई शीटस की पृथक दीवारों के प्रावधन द्वारा रसोईघर को पृथक किया जाए।

घरों में एल.पी.जी. के उपयोग हेतु प्रारम्भिक अग्निशमन उपाय

सेफ्रटी कैप ;सुरक्षा कैपद्ध को नायलान **धागे** से सिलेण्डर के साथ **बाँधकर** रखे । रिसाव रोकने के लिए यदि कोई है, तो वाल्व पर सुरक्षा ढक्कन लगा दें । जब सिलेण्डर उपयोग में न हो तो वाल्व पर सुरक्षा ढक्कन लगा दें । रबड़ ट्यूब की दरारों के लिए नियमित रुप से जाँच करे। रबड़ ट्यूब को दो साल में कम से कम एक बार अवश्य बदलें । पहले माचिस जलाएं ...... फिर अपने स्टोव का बर्नर खोलें ।

खाना बनाते समय हमेशा सूती **वस्त्र** पहनें ।

सिलेण्डर को बंद स्थान के अन्दर न रखें ।

सिलेण्डर को खड़ी स्थिति में रखें ।

गैस स्टोव को सिलेण्डर के स्तर से सदैव ऊँचे प्लेटपफार्म पर रखें।

स्वयं मरम्मत करना असुरक्षित है । वितरक के मैकेनिक को बुलाएं।

बच्चों के लिए अग्नि सुरक्षा उपाय

मस्तिष्क में आने वाले निम्नलिखित सुरक्षा बिन्दु ध्यान में रखें।

बच्चे हमारी अत्यन्त मूल्यवान सम्पत्ति है । वे भी आग तथा दुर्घटनाओं के कारण अत्याध्कि असुरक्षित है ।

बच्चों को कभी भी अकेले रसोईघर में, हीटर अथवा खुली आग के समीप न छोड़े

बड़े बच्चे माचिस के साथ आग से खेलते हैं, जिसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है । माचिस तथा सिगरेट लाइटरों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

यदि छोटे बच्चे ज्वलनशील हीटर अथवा अन्य ताप वाले उपकरण के साथ सज्जित कक्ष में खेल रहे हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि उपकरण ढके हुए हैं जिसमें बच्चे गर्म उपकरण अथवा गर्म पदार्थ पर हाथ न रखें अथवा डाले ।

यह सुनिश्चित करें कि विद्युत प्लग तथा साकेट ढके हुए हो जिससे कि वे साकेट में तार, धतु की चीज, अपनी अंगुलियॉ न डाल सके ।

हमेशा याद रखें ।

अग्नि में अच्छाई एवं बुराई दोनों हैं– इसकी रोकथाम करें।

यदि आग लगने का अलार्म सुनें ।

निकटस्थ **उपलब्ध** निकास मार्ग से परिसर से बाहर आ जायें।

बाहर जाने से पूर्व सभी खिड़की व दरवाजे बन्द कर दें ।

संयोजन स्थल पर प्रभारी व्यक्ति को सूचित करें ।

अपनी सुरक्षा के हित में

आपको बचाव मार्ग, अग्नि सूचना अलार्म के परिचालन और अग्नि बचाव के प्राथमिक उपचार उपकरणों का अवश्य ज्ञान होगा।

बचाव साध्न के रूप में **लिफ्ट** का उपयोग न करें।

चिल्लाएँ या दौड़े नहीं–इससे दहशत पैदा हो सकती है।

फायर ब्रिगेड को पफोन करें

फायर बिग्रेड की सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। आग के आकार पर विचार किए बिना दूरभाष संख्या 101 पर पफोन करें। इस नम्बर पर फोन करने के लिए आपको सिक्के की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप पी.सी.ओ. के माध्यम से पफोन कर रहे हो।

अपनी सहायता/बचाव के लिए अग्नि–शमन कर्मचारी की सहायता करें

. दुर्घटना वाले स्थल तक तुरन्त पहुंचने के लिए अग्नि–शमन वाहनों को रास्ता दें ।
. अग्नि–शमन नियंत्राण कक्ष से सम्पर्क करने के लिए अपने फोन का उपयोग करने दें।
. भूमिगत जलाशय/अग्नि–शमन–नल के समीप अपनी कार/ट्रक खड़ा न करें।
. अग्नि लगने की स्थिति में ट्यूबवैल, तालाब, स्थिर जल टंकियों जैसे जल स्त्रोतों के **संबंध** में अग्निशमन कर्मचारियों का मार्गदर्शन करें।

15 मीटर तक की उँचाई वाले भवनों में 50 या अधिक व्यक्तियों की क्षमता वाले रेस्त्राओं हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की अनुसंशाए ।

सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 15 मीटर तक की उफँचाई वाले भवनों में 50 या अधिक सीटों की क्षमता वाले रेस्त्राओं के मामले में नगर निकायों ;दि.न.नि./न.दि.न.पा.परिषद्/दिल्ली केन्टो0 बोर्ड के लिए उपायुक्त पुलिस/लाईसेसिंग को व्यवसाय लाईसेंस/भोजनालयों के लिए लाईसेंसों हेतु सभी नये मामले उपरोक्त वर्णित अग्नि सुरक्षा कानून के अनुरुप अग्नि सुरक्षा पर अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु मुख्य अग्नि सुरक्षा **अधिकारी** को प्रेषित/**अग्रसारित** किये जाएं । नगर निकाय या उपायुक्त पुलिस/मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपेक्षित अनापत्ति प्रमपाणपत्र देने के उपरांत ही सम्बंध्ति लाईसेंसिंग को व्यापार लाईसेंस या भोजनालय लाईसेंस जारी करने के आवेदन पत्र जो भी संगत हो, पर विचार करना चाहिए। यद्यपि नगर में 15 मी0 या उससे कम ऊंचाई वाले वर्तमान भवनों में अनेक रेस्टोरेंट हैं, जिनके परिसरों में भूतल स्तर पर 50000 ली0 क्षमता का भूमिगत जलाशय बनाने के लिए अपेक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्थान का है या उसकी खुली छत पर छिड़काव पूर्ति हेतु 10000 ली0 क्षमता की जल की टंकी का भार वहन करने हेतु भवन का ढांचा या छत की क्षमता नहीं है तथा भूमिगत जलाशय के समीप पर्याप्त क्षमता के मुख्य एवं वैकल्पिक पम्पों के प्रावधन न हों पाने का कारण स्थल की विवशता है। राष्ट्रीय भवन संहिता भवन के अन्तिम छोर के 6 मीटर के भीतर निकास मार्ग अपेक्षाओं एवं 13 मीटर से अध्कि की पैदल दूरी का निर्धरण सम्भव नहीं है । पूर्व विद्यमान रेस्त्रों के ऐसे मामलों में संबंध्ति नगर निकाय ;व्यवसाय लाईसैंस के मामले मेंद्ध, उपायुक्त पुलिस/लाईसैंसिंग ;भोजनालय के मामले मेंद्ध एवं आबकारी आयुक्त ;मदिरा पटल के लाईसैंस के मामले मेंद्ध से 50 या अध्कि व्यक्तियों की क्षमता वाले ऐसे सभी वर्तमान लाईसैंस वाले रैस्टोरैंटों के मामले अनापत्ति प्रमाण–पत्रा हेतु मुख्य अग्निशमन अध्किारी को प्रेषित किये जाने अपेक्षित होंगे । मुख्य अग्निशमन अध्किारी ऐसे वर्तमान के रैस्टोरैंट के मामलों में उनकी स्थल विवशता, भार वहन क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए उनका मूल्यांकन करेगा । अंतरिम उपाय के रूप में तत्काल कुछ विशेष सुरक्षा उपाय किये जाने पर बल देगा और इन उपायों में कम से कम इन अपेक्षाओं को सम्मिलित करेगा :–

1. हौज़रील ;चर्खी से लिपटा पाईप
2. डाउन कमर : भूतल + 3 तलों और उससे ज्यादा लेकिन **अधिकतम** 15 मीटर की ऊँचाई के लिये ।
3. स्वचालित जल छिड़काव प्रणाली : भूतल पर विद्यमान रैस्टोरैंट के मामलों को छोड़कर जहाँ अग्निशमन सेवा का भूतल पर दो तरफा आवागमन का **प्रावधान** है ।
4. मानव द्वारा परिचालित विद्युतीय अग्नि सूचक प्रणाली ;इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टमद्ध
5. हौज़रील के लिए छत के उफपर 2500 लीटर की जल टंकी और छिड़काव और डाउफनकमर के लिये 5000 लीटर की जल टंकी का **प्रावधान** ।
6. हौज़रील के मामले में छत की सतह पर 0.3 एन/मी.मी.;3 किलोग्राम/प्रति वर्ग से.मी.द्ध का अर्थात् 40 मीटर हैड के साथ 225 लीटर प्रति मिनट का न्यूनतम दबाव के साथ अग्निशमन पम्प छिड़काव/डाउन कमर के लिए 450 लीटर प्रति मिनट तथा 180 ली.प्रमि./ 225 लीटर प्र.मि. की उपयुक्त क्षमता के साथ एक जौकी पम्प का प्रावधन ।
7. आई.एसः 2190 के अनुसार अग्निशामक ।
8. भूखण्ड में प्रवेश मार्ग : न्यूनतम 4.5 मीटर ।
9. बैटरी बैकअप के साथ आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था ।
10. बिजली की वायरिंग एम.सी.बी./ई.एल.सी.बी. के साथ आवरण नलिका अथवा आवृत्त हो ।
11. निकास मार्ग के टिमटिमाते संकेत चिन्ह् ।
12. अग्निशमन सुरक्षा सुविधओं की अपेक्षाओं को पूर्ण करने हेतु आपातकालीन ऊर्जा आपूर्ति ।
13. बचाव मार्ग– 50 सीटों या रैस्टोरैंट दूसरे तल पर हो ;भूतल+1 से उफपरद्ध या इस तल से **ऊपर अधिक** क्षमता वाले रैस्टोरैंट या दो निकास मार्गों का **प्रावधान** ।
14. **धुआँ निकलने एवं बाहर निकलने** की **खिड़की** ।

15. **मीटर** तक की **ऊँचाई** वाले विद्यालय भवन के लिये अग्नि सुरक्षा दिशा–निर्देश

सामान्य उपाय –

1. सभी स्कूलों में अग्निशमन उपकरण होने चाहिए ।
2. बचाव के सभी मार्ग बिना किसी रूकावट के साफ–सुथरे होने चाहिए और विद्यालय भवन में व्यक्तियों के होने के दौरान सभी द्वार खुले रखें जायें ।
3. स्कूल का चौकीदार/केयरटेकर सभी विद्युतीय संस्थापनों/ उपकरणों को विद्यालय समय के बाद या विद्यालय बन्द होने के उपरान्त, जो भी बाद में हो, बन्द करेगा ।
4. भवन में एल.पी.जी. सिलेन्डरों को रखने की उपयुक्त सुविधाएं हों, विशेषकर ये सिलेन्डर क्लास रूम से दूर पृथक बन्द स्थान पर रखें जायें ताकि एल.पी.जी. सिलेन्डर से गैस के रिसाव होने की स्थिति में पूरे भवन में अग्नि पफैलने का खतरा न रहे । जहाँ कहीं भी प्रयोगशालाओं के लिये एल.पी.जी. दिये जाने की व्यवस्था होती है तो एल.पी.जी. के प्रयोग में लाने के संबंध में सामान्य सावधनियों का अवश्य पालन किया जाए अर्थात् एल.पी.जी. स्टोव को विद्युतीय वायरिंग से दूर रखा जाना चाहिए, जो चिंगारी का कारण बन सकती है इसी प्रकार, एल.पी.जी. स्टोव को पर्याप्त रूप से उपकरण हवादार स्थान पर रखा जाना चाहिए। एल.पी.जी. सिलेण्डर से गैस स्टोव तक गैस वाहक रबड़ ट्यूब की नियमित रूप से जाँच की जानी चाहिए एवं यदि आवश्यक हो तो उसे बदलना चाहिए। यदि गैस की गंध महसूस हो ;गैस लीक होने का संकेत, माचिस की तीली नहीं जलाई जानी चाहिए और न ही बिजली के स्विच खोलें अथवा बंद करें। गैस के रिसाव की स्थिति में खिड़की एवं दरवाजे खोल दिए जाने चाहिए। एल.पीजी. संस्थापनों के निकट किसी भी परिस्थिति में विद्युत हीटर नहीं चलाया जाना चाहिए। जिस स्थान पर एल.पी.जी. सिलेण्डर रखे जाते हैं, तो ऐसे भण्डारण स्थल से लगभग 15 मीटर की दूरी पर अवस्थित एक हस्तनियंत्रित वॉल्व के द्वारा आवश्यक जल छिड़काव प्रणाली उपलब्ध कराई जाए।

5. दिल्ली अग्निशमन सेवा, आग से सुरक्षा विषय पर शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को शिक्षित करने हेतु विभिन्न प्रकार के पोस्टर उपलब्ध करा रही हैं तथा उन्हें प्रमुखता से विद्यालय परिसरों में प्रदर्शित किया जाये । कुछ मामलों में, अग्नि सुरक्षा से संबंध्ति विषय पर स्थाई बोर्डों को तैयार कराया जाना भी वांछनीय है।

6. विद्यालय इमारत में विद्युतीय तारें आवरण नली में अथवा आवृत रूप में होनी चाहिए। जहाँ पर भी खुली वायरिंग की गई है वहां सभी संबंध्ति विद्यालय, इस परिपत्रा के जारी होने की तिथि से एक वर्ष की **अवधि** के भीतर, उन्हें धत्विक आवरण नली अथवा आवृत रूप में डलवाने का **प्रबंध** करेंगे।
7. विद्युतीय सर्किट पर अत्याधिक उर्जा भार नहीं होना चाहिए। विद्युतीय संस्थापनों में एम.सी.बी तथा ई.एल. सी.बी. का प्रावधन किया जाए।
8. सीढ़ियों में यथासम्भव विद्युत मीटर बोर्ड संस्थापित न कराए जाए तथा जहाँ पर पूर्व संस्थापित है, उन्हें धातु के बॉक्स द्वारा ढका जाए।
9. कृत्रिम छत, दीवारों की चौखटों को भरने इत्यादि के निर्माण हेतु पंचम श्रेणी के क्रम–निर्धारण तक आग पफैलने वाली लपटों ज्वलनशील वाली सामग्री सहित सामग्रियों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
10. भूमिगत तल का, यदि है, तो वहां पर किसी भी परिस्थितियों में कक्षाएं आयोजित करने हेत उपयोग नहीं किया जाएगा। भूमिगत तल में अधिवास एवं उसका उपयोग भवन उप–नियम 1983 के अनुसार किया जाए।
11. विद्यालय परिसरों में आपातकालीन दूरभाष सं. यथा– 100, 101 तथा 102 के साथ–साथ निकटतम दमकल–केन्द्र तथा निकटतम पुलिस स्टेशनों की दूरभाष सं. भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाए।
12. तीन मास में कम से कम एक बार अग्नि/रिक्तीकरण अभ्यास का आयोजन किया जाना चाहिए। इस संबंध में अग्नि/रिक्तीकरण अभ्यास पर परामर्श एवं पर्यवेक्षण के लिए अपने कर्मचारीगण तैनात करने हेतु दिल्ली अग्निशमन सेवा से अनुरोध किया जा सकता है।
13. जिन विद्यालय परिसरों में जेनरेटर सैट का उपयोग किया जाता है, ध्वनि अथवा वायु प्रदूषण की अनिवार्य सावधनियों को व्यवहार में लाने के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जेनरेटर सेट को बाहर से प्रत्यक्ष प्रवेश के साथ या तो पृथक तल पर रखा हो, अथवा भवन के पृथक हिस्से में रखा जाए।

14. कुर्सी एवं मेज सहित विद्यालय के सभी पफर्नीचरों की केन्द्रीय भवन अनुसंधन संस्थान ;सी.बीआर. आई रुड़की से अनुमोदित अग्निरोधी पेंट से छपाई कराई जाए। जैसाकि अग्निरोधी पेंट के काफी मंहगा होने की संभावना है अतः विद्यालयों को इस कार्य को पूरा करने के लिए 3 वर्ष की अनुमति प्रदान की जाती है। यद्यपि, विद्यालय के लिए नए फर्नीचरों का क्रय करते समय, विद्यालय **प्रबंधन** यह सुनिश्चित करे कि नया पफर्नीचर या तो अग्निरोधी पेंट किया हुआ हो अथवा अग्निरोधक सामग्री से बना हो।
15. 45 व्यक्तियों की क्षमता से अधिक वाले प्रत्येक कक्ष में न्यूनतम 2 द्वार होने चाहिए। रा.भ.नि. के परिच्छेद 10–4.2
16. ऊपरी तल पर सीढ़ियों के द्वारा बाहर निकलने के न्यूनतम दो मार्ग होने चाहिए, जो जहां तक संभव हो एक दूसरे से हटकर हो। ;रा.भ.नि. के परिच्छेद 10.4.2 विशिष्ट उपाय। **अर्ध** केवल भूतल में संचालित विद्यालयों के लिए

1. प्रत्येक तल हेतु न्यूनतम दो अग्निशामकों के आधर पर 300 वर्ग मी0 क्षेत्र या उसके किसी अंश के लिये आई.एस.आई मार्क का एक 2.5 कि. ग्रा. क्षमता का कार्बन–डाई–आक्साइड टाइप का अग्निशामक या आई.एस.आई मार्क एबीसी टाइप अग्निशामक लगाये जाएंगे। इसके अतिरिक्त, प्रयोगशाला में विद्युत संस्थापनों के समीप और/या जनरेटर कक्ष में भी एक–एक अग्निशामक का प्रावधान किया जायेगा ।
2. भवन में यदि कोई भूमिगत तल है, तो उसमें छिड़काव प्रणाली का प्रावधन किया जायेगा ।
3. भूमिगत तल होने वाले भवनों की स्थिति में उसकी छत पर 40 मीटर उफँचाई तक ;4 कि.ग्रा. /वर्ग सें. मी.द्ध पर 450 ली0/मिनट जल पफैंकने वाले क्षमता का अग्निशमन पम्प और 40 मीटर उँचाई तक जल पफैंकने वाले 4 कि.ग्रा./वर्ग से.मी.द्ध पर 180 ली. प्रति मि. क्षमता के जौकी पम्प का प्रावधन किया जायेगा । सभी पम्प परिचालन में स्वचालित होंगे।
4. केवल छिड़काव प्रणाली हेतु जल–भंडारण के लिए 5000 ली0 क्षमता की एक शिरोपरि जल टंकी का प्रावधन किया जाये ।बद्ध भूतल से ऊपर और दो ऊपरी तलों तक के विद्यालय भवनों के लिए
   1. प्रत्येक तल हेतु न्यूनतम दो अग्निशामकों के आधर पर 300 वर्ग मी0 क्षेत्रा या उसके किसी अंश के लिये आई.एस.आई मार्क एक 2.5 कि. ग्रा. क्षमता का कार्बन–डाई–आक्साइड टाइप का अग्निशामक या आई.एस.आई मार्क एबीसी टाइप अग्नि शामक लगाये जाएगे। इसके अतिरिक्त, प्रयोगशाला में विद्युत संस्थापनों के समीप और/या जनरेटर कक्ष में भी एक–एक अग्निशामक का प्रावधन किया जायेगा ।
   2. 30 मी0 लम्बे एक होजरील पाईप के सिरे पर 6.5 मि.मी. व्यास की नोजल प्रत्येक 1000 वर्ग मी0 या आवृत क्षेत्रा हेतु भवन के प्रत्येक तल पर न्यूनतम एक होज़रील की शर्त पर **प्रावधान** किया जायेगा ।
   3. भूतल और प्रथम–तल से अध्कि तल होने की स्थिति वाले भवनों में प्रत्येक तल पर आन्तरिक तलों सहित 50 मि.मी. व्यास की आपूर्ति पाईप पर 63 मि.मी. के तुरन्त जुड़ने वाले कपलिंग व 12 मि.मी. व्यास की एक नोजल के साथ 15 मी0 लम्बाई के 2 पाईप युक्त होज बाक्स के साथ डाउन कमर का प्रावधन किया जाये ।
   4. एकमात्र अग्निशमन प्रणाली हेतु 2500 लीटर क्षमता का एक शिरोपरि जल टंकी ;छिड़काव प्रणाली/डाउन कमर के मामले में 5000 ली. का **प्रावधान** किया जाये ।
   5. भवन में भूमिगत तल होने की स्थिति में छिड़काव प्रणाली का प्रावधान किया जायेगा ।
   6. भवन की छत पर होज रील पाईप के लिए 40 मी0 फँचाई तक 4 कि.ग्रा./वर्ग से.मी. 220 ली. प्र. मि. क्षमता वाला एक अग्निशमन पम्प संस्थापित किया जाएगा । भवन में छिड़काव/या ओर डाउन कमर होने पर 40 मी. उँचाई तक जल प्फैंकने की क्षमता 450 ली. प्र. मि. और 180 ली. क्षमता का एक जौकी पम्प का संस्थापन किया जायेगा । सभी पम्प परिचालन हेतु स्वचालित होंगे।
   7. 5000 वर्ग मी. से 10,000 वर्ग मी. तक आच्छादित क्षेत्रा वाले भवनों के मामले में 25000 ली. क्षमता के एक अतिरिक्त भूमिगत जल भण्डारण टैंक का प्रावधन किया जाए । 10000 वर्ग मी. से अध्कि आच्छादित क्षेत्रा के मामले में भूमिगत जल भण्डारण टैंक की क्षमता 50000 ली. तक होगी। आडिटोरियम सभागार

1. सभागार में 150 व्यक्तियों के लिये 1.5 मी. चौड़ा एक निकास द्वार के आधर पर न्यूनतम दो निकास–मार्ग जो यथासंभव एक दूसरे के सामने बने हों, का प्रावधन किया जाये। निकास–द्वारों को हमेशा बाहर की तरपफ खुलने वाले हों ।

2. सभागार में मंच के किसी भी तरफ प्राथमिक उपाय के रूप में होजरील का प्रावधन किया जायेगा।
3. यदि मंच लकड़ी का बना हो और/या मंच पर परदे लगाए गए हो तो केवल मंच के बचाव हेतु स्वचालित छिड़काव प्रणाली का प्रावधान किया जाये।
4. भवन में किसी भी रूप में भूमिगत तल होने की स्थिति में छिड़काव प्रणाली का प्रावधन किया जाएगा ।
5. आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा ।
6. प्रत्येक निकास द्वार पर प्रदीप्त निकास संकेतकों का प्रावधान किया जाए ।
7. अग्नि लगने की स्थिति में छत की सतह के पास **धुआँ** निकलने के लिए काफी संख्या में एक्जास्ट पंखों का भी प्रावधान किया जाये ।
8. भूमिगत तल वाले सभागार या भवनों में एक फायर पम्प 40 मीटर उँचाई तक जल फैंकने तथा 450 लिटर प्रति मिनट की क्षमता वाला ;4 कि.ग्राम./वर्ग से.मी. और 180 लि. प्रति मिनट की क्षमता वाले ;4 कि.ग्रा./वर्ग से.मी. एक जौकी पम्प का छत पर प्रावधान किया जाये । सभी पम्प परिचालन हेतु स्वचालित होंगे ।
9. छिड़काव–प्रणाली की सुचारु जलापूर्त्ति हेतु 5000 लीटर क्षमता के एक शिरोपरि जल भण्डारण टंकी का प्रावधन किया जाये ।

सुझाये गये उपाय

1. भवन की बेहतर सुव्यवस्था के रूप में यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये कि परिसर में कोई कोना बिना सफाई के न हो और न ही कोई ज्वलनशील पदार्थ घर में इक्ट्ठा करने की अनुमति दी जाये। ज्वलनशील पदार्थ किसी पात्रा में इस प्रकार एकत्रित किये जाये कि वे हवा द्वारा फैलकर अग्नि लगने का खतरा न बन पायें ।

2. उक्त उपाय/सावधनियां उन भवनों के लिए पर्याप्त नहीं है जहां पर नियमों के अनुसार मूल निवास को परिवर्तित किया जाता है या जहां भवन पूर्णतः या आंशिक रूप से वातानुकूलित हैं। ऐस भवनों के मामले में विद्यालयों को दिल्ली अग्निशमन के अध्किारियों द्वारा परिसर का सर्वेक्षण कराकर अग्नि सुरक्षा उपायों संबधी विस्तृत अनुशसांओं की प्रति प्राप्त करनी चाहिये । नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्, अग्निश्मन विभाग के महत्त्वपूर्ण दूरभाष नम्बर